FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम अलवर

उनवान **अशोक कुमार** बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर 15/295/2022 दा0दि0 21.11.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2023	पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। प्रकरण में थानाधिकारी नौगावां की रिपोर्ट प्राप्त है। शा0मि0 की गयी। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। थानाधिकारी ने अपने पत्रांक 186 दिनांक 25.01.2023 के द्वारा रिपोर्ट में निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 नम्बर आर.जे. 29 जी.ए. 3478 से अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को नियमानुसार छोड़ा जाता है तो पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 नम्बर आर.जे. 29 जी.ए. 3478 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/- (पांच लाख रूपये मात्र/-) तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें, तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा पूर्व से नियत दिनांक 31.01.2023 को पेश हों। [signature] **जिला कलक्टर** **अलवर** 31/01/23 पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थी/अपी० उप०/ अनु० [illegible] अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते...... दिनांक...... 02/02/23 [signature] रीडर	

07 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/अभि० उप०/
अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में
व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते............[illegible]
दिनांक....................को पेश हो।

20/02/23 रीडर

14/02/23

वकील प्रार्थी के प्रार्थनापत्र
पर पत्रावली तलब होकर
पेश हुई। वकील प्रार्थी ने
निर्धारित राशि के [illegible]
सुपुर्दनामा पेश किये। तस्दीक
करा और पत्रावली [illegible]। S.H.O.
[illegible] को वाहन को सुपुर्दगी
पर देने बाबत आदेश
जारी हो। पत्रावली [illegible]
[illegible] होकर बाद तकमील
दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)